न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 33/2025

सुमरथलाल बनाम श्रीमति रेखा मीना उप जिला कलक्टर बसवा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 श्री नवीन कुमार गुर्जर उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा में दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 30/2024 एवं प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 21/2024 उनवानी रामकरण वगैरा बनाम जंगलीराम वगैरा पेश किया था। जिसमें अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी है कि हम उपखण्ड अधिकारी बसवा से मिलकर आपके द्वारा प्रस्तुत वाद को कुरेजात के आधार पर हमारे पक्ष में निर्णय एवं डिक्री करवाकर रहेंगे। अप्रार्थी सं.2 लगायत 7 बाहुबली लोग है जो उपखण्ड अधिकारी बसवा से सांठ गांठ कर उक्त दावा तकास्मा को अपने पक्ष में करवाने पर आमादा है इसलिये उपखण्ड अधिकारी बसवा से प्रकरण में पास–पास की तारीखें ले रहे हैं। जबकि प्रार्थी के वकील ने न्यायालय में कहा कि अभी प्रार्थी की तबीयत खराब होने की वजह से न्यायालय हाजा में ऐतराज कुरेजात का प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकता है इसलिये प्रकरण में 15–20 दिन की तारीख नियत किया जाना न्यायोचित है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी बसवा द्वारा प्रार्थी वकील की अर्जी बिना सुने ही उक्त पत्रावली को वास्ते अन्तिम बहस हेतु दिनांक 23.4.2024 नीयत कर दी। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बसवा से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत टी.आई. नं. 21/2024 में एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करवा लिया गया है तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस रजिस्टर्ड एडी पेश किये जाने थे। प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिये पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावें। उप जिला कलक्टर बसवा से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस कदर तहरीर किया गया है, वह काबिले खारिज है, जो न्यायालय की गरिमा के विरूद्ध है। न्यायालय हाजा द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत ही कार्य सम्पादन किया जाता है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामकरण वगैरा बनाम जंगलीराम वगैरा में प्रार्थीगण द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official